

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

| | | |
|---|---------|--|
| वादी | ब | प्रतिवादी |
| श्रीलाराम पुत्र रामराम जाति जाट खा. करकेडी | वा म | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी |

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 213 / 2021

GCMS No. 2021/932

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तारीख में जारी
हूए

25.11.2021) वादी श्री श्रीलाराम पुत्र रामराम
जाति जाट निवासी करकेडी द्वारा आज "प्रशासन
गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत
में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत् 2076-79
ग्राम करकेडी पटवार मण्डल परेकडे के खाता
नम्बर 30 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि
श्रीलाराम पुत्र रामराम
दर्ज है, जो अशुद्ध है।
वादी का शुद्ध नाम श्रीलाराम पुत्र रामराम
है, तथा इसी अनुसार
राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है।
जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न.
आधार नम्बर 256049259401
मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज
की छाया प्रति प्रस्तुत की है।
इस संबंध में हल्का पटवारी भू.अ.नि
एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट
तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं
प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।
अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार
राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये
जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दाखल
हो।

५०६-९०४



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

